भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, ग्यारवा तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : roez.lko-mef@nic.in, goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 : 8बी/यू0पी0/06/180/2023/एफ.सी./501 दिनांक : 05.02.2024

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/ROAD/146875/2021

विषयः सीतापुर-हरदोई (राजमार्ग संख्या-330डी) के किमी0 0.000 से 38.853 तक दो लेन से चार लेन पेब सोल्डर सहित चैड़ीकरण में सीतापुर वन प्रभाग में प्रभावित 28.707 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 1549 वृक्षों के पातन तथा हरदोई वन प्रभाग में प्रभावित 8.28 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 1200 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 36.987 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2749 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 1619/11-C/FP/UP/ROAD/146875/2021 दिनांक 29.12.2023

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी- 240/81-2-2023-800(239)/2023 दिनांक 04.09.2023 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गई थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के सम-संख्यक पत्र दिनांक 09.11.2023 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आवश्यक जानकारी/सूचना मांगी गयी थी, जिसकी अनुपालना उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गयी है। तदोपरान्त, विषयान्तर्गत वर्णित परियोजना प्रस्ताव को अग्रेतर विचारार्थ क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC), क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के दूसरी बैठक में प्रस्तुत किया गया था। बैठक में विस्तृत चर्चोपरान्त क्षेत्रीय सशक्त समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्ताव में अभी भी अनेक त्रुटियाँ है, जिसका निष्तारण राज्य वन विभाग के स्तर पर किया जाना अपेक्षित है, परन्तु ऐसा न होने के कारण परियोजना के निष्तारण में अनावश्यक रुप से विलम्ब होती है, जिसपर समिति ने अपनी नाराजगी व्यक्त की।

क्षेत्रीय सशक्त समिति के समीक्षोप्रांत समिति ने निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी चाही है एवं उसके सापेक्ष दस्तावेजों को प्रस्ताव के ऑनलाइन आवेदन में अपलोड कराने की आवश्यकता पर बल दिया है :

I. Polygon of KML file uploaded does not match with the area proposed for diversion of Sitapur Forest Division. Thus Revised KML files of area proposed for diversion needs to be provided.

II. The KML file of CA area needs to be revised to exclude the private land of formers. Revised KML files needs to be uploaded on PARIVESH Portal.

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं ध्यान में रखते हुए दस्तावेज / जानकारी को प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु ऑनलाइन में अपलोड कराते हुए प्रेषित किया जाय।

भवदीय,

(डा0 प्रणय मिश्रा)
सहायक वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):-

1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हाफ), वन विभाग, **17** राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ**0**प्र**0**।
2- मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, **17** राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ**0**प्र**0**।
3- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सीतापुर एवं हरदोई।
4- अधिशासी अभियंता, एन**0**एच**0** डिवीजन, लोक निर्माण विभाग, कानपुर।
5- पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डा0 प्रणय मिश्रा)
सहायक वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)